UPRN010039402026

न्यायालय **Ist Additional District and Sessions Judge**

Kanpur Dehat,

पीठासीन अधिकारी– (Sri. Rajat Sinha), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP06042**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1520/2026

हरिओम यादव उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र पुत्तीलाल निवासी ग्राम चैन का पुरवा थाना देवराहट जिला कानपुर देहात।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु0अ0सं0–18/2026
धारा– 64(1),115(2) व 109(1) बी0एन0एस0
थाना– देवराहट जिला कानपुर देहात।

दिनांक – 18.8.2026

प्रार्थी/अभियुक्त हरिओम यादव की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–18/2026 धारा– 64(1), 115(2) व 109(1) बी0एन0एस0 थाना देवराहट जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन है कि 5.6.2026 को समय करीब शाम के 6 बजे वादिनी प्रिया कुशवाहा के देवर रामवीर कुशवाहा ने वादिनी के पास फोन किया और बताया कि कल सुबह घर पर बहुत पहुंचे हुए संत महाराज आ रहे हैं और घर पर पूजा पाठ है जिसपर वादिनी अपने पुत्र कार्तिक को लेकर ससुराल पहुंच गयी। अगले दिन दिनांक 6.6.2026 को समय करीब 6 बजे सुबह हरिओम यादव महाराज व कुंदन दीपक और 4–5 लोग अज्ञात वादिनी के ससुराल आए। पूजा पाठ किया। हरिओम यादव महाराज ने बताया कि तुम्हारे उपर कई प्रकार की काली छायाएं हैं तुम मेरे दरबार हरिधाम सरकार चैन का परवा थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात आकर प्रसाद चढ़ा जाना तो तुम्हारी सारी काली शक्तियां कट जाएंगी। हरिओम यादव महाराज ने कहा कि पूजा पाठ में करीब 40,000/– रूपये का खर्चा आएगा जिसपर हरिओम यादव महाराज की बात का विश्वास करके वादिनी ने 40,000/– रूपया हरिओम यादव महाराज को दे दिया। दिनांक 15.6.2026 को समय करीब 7–30 बजे सुबह वादिनी के देवर रामवीर व सुखवीर वादिनी के किराए के

कमरे फफूंद आए और बहला फुसलाकर बोले आज हरिधाम सरकार में तुम्हारी पूजा का प्रोग्राम है, चलना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम है जिसपर वादिनी ने विश्वास में आकर अपने देवर रामवीर व सुखवीर के साथ बाइक पर समय करीब 10 बजे सुबह हरिधाम पहुंच गयी। हरिओम महाराज ने पूजा करने के बहाने वादिनी को अलग कमरे में ले गया और पूजा के नाम पर वादिनी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, वादिनी ने जब इस बात का विरोध किया तो रामवीर, सुखवीर, दीपक और हरिओम यादव वादिनी के साथ मारपीट करने लगे, उसी दौरान रामवीर और सुखवीर ने वादिनी के हांथों को पकड़ लिया, उसी दौरान दीपक यादव और हरिओम यादव जान से मारने की नियत से वादिनी का जोर से गला दबा दिया। किसी तरह वादिनी ने बचते बचाते अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। वादिनी डरी–सहमी थी और घटनास्थल का थाना क्षेत्र न पता होने के कारण भोगनीपुर थाने पहुंची और अपना मेडिकल परीक्षण पुखरायां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि घटना दिनांक 15.6.2026 समय करीब 10 बजे सुबह की बताई गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.6.2026 को समय करीब 7–18 बजे दर्ज कराई गयी है। घटना से करीब 3 दिन बाद सोच समझकर साजिश के तहत दर्ज कराई गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा 40000/– रूपये पूजा पाठ हेतु प्रार्थी/अभियुक्त को खर्चे के देना कहा है परन्तु उक्त रूपये कहां से लाई, किसके सामने दिए, यह नहीं बताया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हरिओम महाराज ने पूजा करने के बहाने वादिनी को अलग कमरे ले गया और पूजा के नाम पर वादिनी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा तो वादिनी ने विरोध किया तो रामवीर व सुखवीर जो उसके स्वयं के देवर हैं, उन्होंने हांथ पकड़ लिया तो हरिओम यादव ने जान से मारने की नियत से जोर से गला दबा दिया जिससे वादिनी किसी तरह बचते बचाते वहां से भाग निकली। वादिनी मुकदमा द्वारा यह कहीं नहीं कहा गया कि मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त एक सन्यासी संत है। वह बाल्यावस्था की उम्र 11 वर्ष की अवधि से ही शान्त भाव में तल्लीन रहता चला आ रहा है। वादिनी मुकदमा स्वतंत्र विचरण करने वाली बर्बर स्वभाव की महिला है। उसपर उसके परिजन व ससुरालीजन का कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपने ससुरालीजन एवं मायके वालों से अलग रहक खुले विचारों के साथ निवास करती है जिसपर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा भ्रामक एवं काल्पनिक तथ्यों सहित मनगढ़ंत कहानी रचकर यह मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें कि कोई भी सत्यता नहीं है। आश्रम में अनेकानेक भक्त आते रहते हैं। ऐसे भीड़ भाड़ वाले आश्रम में ऐसी घटना होना कतई सम्भव नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं बताया है न ही कोई साक्षी बताया है जिसने की घटना देखी हो या घटना के बारे में सुना हो। महज आशीष दुबे जो औरेया जनपद का एक प्रभावशाली नेता है, सरकार का फायदा उठाते हुए थाने में दबाव बनाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर यह मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.6.2026 से जिला

कारागार में निरूद्व है। प्रार्थी/अभियुक्त की छति धूमिल करने के उद्वदेश्य से यह झूठा मुकदमा कायम कराया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ वादिनी पर काली छाया बताते हुए उसे दरबार हरिधाम सरकार चैन का पुरवा आने एवं प्रसाद चढ़ाने हेतु अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ उसकी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए गए तथा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता की बढोत्तरी की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उ 0 प्र 0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।।

केस डायरी के साथ चिकित्सकीय आख्या में पीड़िता श्रीमती प्रिया कुशवाहा के शरीर पर डाक्टर द्वारा 6 चोटें अवलोकित की गयी जो निम्न हैं–

1– Contusion of 86 cm over (Blackish Brown) Ovaer Right lower quadrant of Right Breast.

2–Contusion of 117 cm over right side of lower back (Blackish Brown)

3–Multiple Contusion of 1111 cm over right side of upper back

4–Contusion of 22 cm over right side of upper back (Blackish Brown) and 21 cm over left side of upper back

5–Contusion of 1111 cm over right ARM (lateral aspect) (Blackish Brown)

6–Contusion of 84 cm over media aspect of right ARM

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व वादिनी मुकदमा प्रिया कुशवाहा को उसपर काली छायाएं काटने के नाम पर पूजा करने के बहाने अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत बलात्कार करने तथा विरोध पर मारपीट करने का आरोप है। वादिनी/ पीड़िता द्वारा दौरान विवेचना धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि बाबा ने मुझे अकेले कमरे में बुलाया और अपने कपड़े उतारने लगे तो मैं डर गयी, मुझसे भी कपड़े उतारने को कहा मैं पीछे हटी तो उसने मेरा गुलाबी रंगा का ब्लाउज फाड़ दिया। बाबा ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार किया। भागने पर बाबा ने मुझे बेल्ट और छड़ी से बहुत मारा।

इस प्रकार वादिनी मुकदमा/पीड़िता प्रिया कुशवाहा के शरीर पर आई चोटें व बयान अंतर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित कथनों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त हरिओम यादव की ओर से मु0 अ 0 सं0–18/2026 अंतर्गत धारा 64(1),115(2),109(1) बी0 एन 0 एस 0 थाना देवराहट जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रजत सिन्हा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 यू0 पी0–6042

Digitally signed by RAJAT SINHA
Date: 2026.08.19 11:59:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court